संख्या-141/2025/001-566-25-27-सिं-9-31 एसएवी/25

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अनु0 सं0-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक-03/अधि0ब0अनु0, दिनांक 03.04.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार अंकित धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के साथ प्रदान करते हैं;-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अनुदान सं0-95/2701 के अन्तर्गत भारित मद में करायी गयी बजट व्यवस्था व्यय शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित अनुभागों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(4) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिकी इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(5) व्यय प्रबन्धंन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यययय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शिल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृती वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

(7) अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत वित्त नियंत्रक द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोंपरान्त तत्संबंधी स्वीकृतियां निर्गत की जाएगी। बजट आवंटन हेतु मांग पत्र क्षेत्रीय अधिशासी अभियंताओं द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता या आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को प्रेषित किए जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(8) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2700800010300 (उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	01 वेतन	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
2	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	03 मंहगाई भत्ता	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
3	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	10 जलकर / जल प्रभार	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
9	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन	12 कार्यालय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

		और नियामक आयोग	फर्नीचर एवं उपकरण	
11	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
12	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
13	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
14	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	18 प्रकाशन	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
16	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
17	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	42 अन्य व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
18	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
19	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	45 अवकाश यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
20	095	2700800010300	46	40,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

		उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	(रुपये चालीस लाख मात्र)
21	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
22	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	49 चिकित्सा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
23	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
24	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
25	095	2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**8,02,20,000** **(रुपये आठ करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2700800010400 (राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	01 वेतन	5,13,28,000 (रुपये पाँच करोड़ तेरह लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
2	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	02 मजदूरी	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
3	095	2700800010400	03	3,07,97,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

		राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	मंहगाई भत्ता	(रुपये तीन करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र)
4	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	06 अन्य भत्ते	54,000 (रुपये चौवन हजार मात्र)
7	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	09 विद्युत देय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
9	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	10 जलकर / जल प्रभार	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
10	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
12	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

		तथा विश्लेषण केन्द्र		
13	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	29,00,000 (रुपये उनतीस लाख मात्र)
14	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
15	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
16	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
17	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
18	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	29 अनुरक्षण	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
19	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	42 अन्य व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
21	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

		तथा विश्लेषण केन्द्र	वेयर का क्रय	
22	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
24	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
25	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	19,40,000 (रुपये उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र)
26	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	55 मकान किराया भत्ता	28,30,000 (रुपये अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र)
27	095	2700800010400 राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	44,00,000 (रुपये चौवालीस लाख मात्र)
	कुल			**10,46,70,000** **(रुपये दस करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010300 निदेशन	01 वेतन	2,45,55,68,000 (रुपये दो अरब पैंतालीस करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2	095	2701020010300 निदेशन	03 मंहगाई भत्ता	1,47,33,41,000 (रुपये एक अरब सैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख इकतालीस हजार मात्र)
3	095	2701020010300 निदेशन	04 यात्रा व्यय	2,91,00,000 (रुपये दो करोड़ इक्यानबे लाख मात्र)
4	095	2701020010300 निदेशन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	93,00,000 (रुपये तिरानबे लाख मात्र)
5	095	2701020010300 निदेशन	06 अन्य भत्ते	3,23,50,000 (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख पचास हजार मात्र)
6	095	2701020010300 निदेशन	08 कार्यालय व्यय	3,15,00,000 (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
7	095	2701020010300 निदेशन	09 विद्युत देय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
8	095	2701020010300 निदेशन	10 जलकर / जल प्रभार	70,50,000 (रुपये सत्तर लाख पचास हजार मात्र)
9	095	2701020010300 निदेशन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,62,00,000 (रुपये एक करोड़ बासठ लाख मात्र)
10	095	2701020010300 निदेशन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
11	095	2701020010300 निदेशन	13 टेलीफोन पर व्यय	81,00,000 (रुपये इक्यासी लाख मात्र)
12	095	2701020010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
13	095	2701020010300 निदेशन	16 व्यावसायिक	52,00,000 (रुपये बावन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

			तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	
14	095	2701020010300 निदेशन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
15	095	2701020010300 निदेशन	18 प्रकाशन	26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)
16	095	2701020010300 निदेशन	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
17	095	2701020010300 निदेशन	29 अनुरक्षण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
18	095	2701020010300 निदेशन	42 अन्य व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
19	095	2701020010300 निदेशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	41,00,000 (रुपये इकतालीस लाख मात्र)
20	095	2701020010300 निदेशन	45 अवकाश यात्रा व्यय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
21	095	2701020010300 निदेशन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
22	095	2701020010300 निदेशन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,65,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
23	095	2701020010300 निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

24	095	2701020010300 निदेशन	51 वर्दी व्यय	18,30,000 (रुपये अठारह लाख तीस हजार मात्र)
25	095	2701020010300 निदेशन	55 मकान किराया भत्ता	12,93,00,000 (रुपये बारह करोड़ तिरानबे लाख मात्र)
26	095	2701020010300 निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,55,00,000 (रुपये छह करोड़ पचपन लाख मात्र)
	कुल			**4,50,07,39,000** **(रुपये चार अरब पचास करोड़ सात लाख उनतालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010400 (कार्यकारी अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	01 वेतन	30,44,50,13,000 (रुपये तीस अरब चौवालीस करोड़ पचास लाख तेरह हजार मात्र)
2	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	18,26,70,08,000 (रुपये अठारह अरब छब्बीस करोड़ सत्तर लाख आठ हजार मात्र)
3	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	22,00,00,000 (रुपये बाईस करोड़ मात्र)
4	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)
5	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)
6	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)
7	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	09 विद्युत देय	60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र)
8	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	3,70,00,000 (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

9	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,50,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)
10	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
11	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
12	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र)
13	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
14	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
15	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	18 प्रकाशन	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
16	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
17	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
18	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
19	095	2701020010400	42	50,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

		कार्यकारी अधिष्ठान	अन्य व्यय => (भारित)	(रुपये पचास लाख मात्र)
20	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
21	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
22	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
23	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	6,20,00,000 (रुपये छह करोड़ बीस लाख मात्र)
24	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
25	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	45,00,00,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र)
26	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	1,81,50,000 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)
27	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
28	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,53,23,75,000 (रुपये एक अरब तिरेपन करोड़ तेईस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
29	095	2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

			भुगतान	
	कुल			**53,30,10,46,000** **(रुपये तिरेपन अरब तीस करोड़ दस लाख छियालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010500 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010500 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था)	02 मजदूरी	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)
	कुल			**40,00,00,000** **(रुपये चालीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020010700 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010700 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था)	01 वेतन	38,95,30,000 (रुपये अड़तीस करोड़ पंचानबे लाख तीस हजार मात्र)
2	095	2701020010700 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था)	03 मंहगाई भत्ता	23,37,18,000 (रुपये तेईस करोड़ सैंतीस लाख अठारह हजार मात्र)
3	095	2701020010700 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था)	06 अन्य भत्ते	2,62,50,000 (रुपये दो करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र)
4	095	2701020010700 कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था)	55 मकान किराया भत्ता	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**66,74,98,000** **(रुपये छियासठ करोड़ चौहत्तर लाख**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

				अट्ठानबे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2701020010800 (प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के लिए विविध व्यय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020010800 प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के लिए विविध व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000** **(रुपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701020011000 (सिंचाई यांत्रिक के अधीन टोल फ्री काल सेन्टर)

	अनु0 सं0	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701020011000 सिंचाई यांत्रिक के अधीन टोल फ्री काल सेन्टर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	55,60,000 (रुपये पचपन लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**55,60,000** **(रुपये पचपन लाख साठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701808000300 (नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा)

	अनु0 सं0	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	095	2701808000300 नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	13,00,00,00,000 (रुपये तेरह अरब मात्र)
	कुल			**13,00,00,00,000** **(रुपये तेरह अरब मात्र)**

महायोग	**72,06,47,33,000** **(रुपये बहत्तर अरब छह करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-141/2025/001-566-25-27-सिं-9-31 एसएवी/25, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है